STATEMENT BY MINISTER

Unmanned level crossing accident on Bibinagar—Nadikude section of South Central Railway on 2-5-1994

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): It is with deep anguish that I apprise the House of an unfortunate accident involving train No. 7424 Secunderabad-Tirupati Narayanadri Express and a tractor trailer at about 18.35 hrs. on 2-5-1994 on the Bibinagar-Nandikude B.G. single line section on the Secunderabad Division of South Central Railway. While the train was on run in the block section between Pagidpalli and Valigonda stations and approaching the unmanned level crossing No. 11 at Km. 24/4, a tractor trailer carrying a group of families tried to cross the level crossing but got dashed by the train engine. As a result of the severe impact of the speeding train and consequent dragging of the trailer vehicle along the track, 31 persons travelling on the tractor trailer lost their lives and 8 others sustained grievous injuries. There was no injury to either the train crew or train passengers. The injured persons were shifted to Bhongir Civil Hospital and subsequently to the Gandhi Hospital at Secunderabad.

Immediately on receipt of the information about the accident, Medical Relief Train from Secunderabad with a team of railway doctors left for the site. Additional General Manager, South Central Railway alongwith Senior Officers and Divisional Railway Manager, Secunderabad rushed to the site of accident. Member Staff, Railway Board has also proceeded to the site to make a first-hand assessment and visit the injured in the hospital.

The unmanned level crossing, where the accident occurred, is on a straight track, served by an unmetalled 'katcha' road and the visibility on either side is clear for nearly 600 metres. The driver of the tractor trailer is reportedly missing and the railway administration has lodged a first information report' with the Civil Police.

In an unfortunate accident like this, where no train passenger is killed or injured and the primary responsibility lies with the road user, generally ex-gratia or compensation is not admissible. However, as a special case, ex-gratia payment has been arranged to be paid to the next of kin of those dead and injured persons.

I have ordered an inquiry into the incident by a Committee of Senior Administrative Grade Officers.

All railway workers and I express our heartfelt condolences to the families who lost their relatives due to this unfortunate incident, and also express sincere sympathies to the injured.

I trust the House will join me in extending heartfelt condolences to the bereaved families.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Chimanbhai Mehta. Mr. Mehta, you wanted to seek some clarifications. I have your name.

श्री चिमनभाई मेहता (गुजरात) : अनमैन्ड क्रासिंग पर यह पहली बार नहीं हुआ है। बीच-बीच में न्यूज मिलती रहती है कि जहां अनमैन्ड लेवल क्रासिंग है, वहां एक्सीडेंट होते रहते हैं। यह एक्सीडेंट बहुत बड़ा सीरियस एक्सीडेंट है इसलिए इसके बारे में अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया वह अच्छा किया। आपने इसके बारे में जानकारी भी दी। तो किसी पर दोष लगाये बगैर, जब इन्क्वायरी होगी उसके बाद इसका फैसला होगा कि कौन इसके लिए रिस्पांसबल है लेकिन अन-मैंड लेवल क्रासिंग जो होते हैं, वहां पर भविष्य में ऐसा न हो, इसके बारे में आप क्लेरीफिकेशन दे सकते हैं तो दीजिए ?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Mr. Minister, are you replying? I think it will be better if you reply at the end, after the clarifications.

महोदय मैं तो सुझाव दे रहा हूं। अभी जब भण्डारी जी भाषण कर रहे थे तो वे बता रहे थे कि 18 हजार आपके अनमैंड रेलवे क्रासिंग है। इन सब पर आप व्यवस्था कर नहीं सकते।

क्या आप यह व्यवस्था कर सकते हैं कि इन क्रासिंग्ज के दोनों तरफ ऊंचे स्पीड ब्रेकर लगा दें। इस काम में आपका पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। दूसरी हिदायत आप यह कर सकते हैं कि जितनी भी यात्री गाड़ियां चलती हैं उनको यह मालूम होता है कि कहां-कहां पर ऐसे अनमैंड क्रासिंग है। तो एक दो किलोमीटर दूर से वह इस तरह से विसल बजाएं जिसको सुन कर लोग सावधान हो जाएं। आप यह देखते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां जब आबादी वाले इलाकों से या रेलवे क्रासिंग से गुज़रती हैं तो कई किलोमीटर दूर से विसल बजाती हुई चलती हैं, जिसे सुन कर लोग सावधान हो जाते हैं। क्या आप यह हिदायत कर सकते हैं ? यह काम बगैर पैसे के हो सकता है। तीसरा मेरा यह कहना है कि जहां-जहां पर क्रासिंग हैं वहां पर खास तौर से रात के समय में आप गेट पर ऐसी रोशनी का इंतजाम करें, फासफोरस की लाइट लगाएं जो दूर से चमकती है, आप यह व्यवस्था गेट के ऊपर कर सकते हैं जिससे दूर से चमकता हुआ देख कर आदमी बिदके और अपने वाहन की गति को कम कर दे। इसमें भी ज्यादा पैसा आपका खर्च नहीं होगा। मंत्री जी, क्या आपके अधिकारियों ने आपको ऐसा

सुझाव दिया है, यदि दिया है तो आप क्या करने जा रहे हैं ?

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh) : I would like to know from the hon. Minister whether there was any demand for setting up a level-crossing in this place. For how long was it pending ? Why was it not allowed ? Is it also because it has become a victim of this uni-gauge conversion ?

श्री जगन्नाथ सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर क्रासिंग है, वहां ट्रेन के आने की सूचना तो रहती ही है, वह गेट को बन्द कर के क्यों नहीं रखते हैं ? इसकी व्यवस्था रेलवे की तरफ से होनी चाहिए। हमको यह जानकारी है कि बहुत जगहों पर तो गाड़ी आ कर के रुकी रहती है और क्रासिंग मैन सोया रहता है इस तरह की गलत बातें रेल विभाग में होती हैं, इसलिए इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जब गाड़ी आ रही हो तो कर्मचारी इसकी पहचान करे तभी इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए रेलवे को निश्चित उपाय करने चाहिए। आज रेल दुर्घटनाएं आम बात हो गई है। शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो दुर्घटना होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्हीं की तरह यह केन्द्र के मंत्री थे, एक दुर्घटना हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन यह मंत्री की दुर्घटना-प्रूफ हैं, एक्सीडेंट-प्रूफ हैं। आप ध्यान देते रहें लेकिन रेलवे की दुर्घटना रुकने वाली नहीं है। रेलवे में मिसमेनेजमेंट है, करप्शन है जिसके कारण रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है, इसी कारण रोज़-ब-रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं।

شری جلال الدین انصاری: اپ سبھا ادھیکش مہودے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کراسنگ ہے وہاں پر ٹرین آنے کی سوچنا تو رہتی ہی ہے وہ گیٹ کو بند کرکے کیوں نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی ویوستھا ریلوے کی طرف سے ہونی چاہیے۔ ہم کو یہ جانکاری ہے کہ بہت جگہوں پر تو گاڑی آکر کے رُکی رہتی ہے اور کراسنگ مین سویا رہتا ہے۔ اس طرح کی غلط باتیں ریلوے وبھاگ میں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کی کوئی ویوستھا ہونی چاہیے۔ جب گاڑی آرہی ہو تو کرمچاری اس کی پہچان کرے تب ہی اس طرح کی درگھٹناؤں کو روکا جا سکتا ہے اس کے لیے ریلوے کو نشچت اُپائے کرنے چاہییں۔ آج ریل درگھٹنائیں عام بات ہوگئی ہے۔ شاستری جی جب ریل منتری تھے تو درگھٹنا ہونے کے بعد انھوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن یہ منتری جی درگھٹنا پروف ہیں ایکسیڈنٹ پروف ہیں۔ آپ بیان دیتے ہیں لیکن ریلوے کی درگھٹنا رکنے والی نہیں ہے۔ ریلوے میں مس مینجمینٹ ہے۔ کرپشن ہے جس کے کارن ریلوے کا ایڈمنسٹریشن فیل ہوگیا ہے۔ اسی کارن روز بروز درگھٹنائیں ہو رہی ہیں۔

श्री मोहम्मद सलीम : मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जिस तरह से आप टारगेट रखते हैं कि इतने सालों में यह काम करेंगे, आप टारगेट दे कर बताते हैं, आपके 18 हजार अनमैंड लेवल क्रासिंग है आप इस बात की जानकारी हाऊस को दें कि आहिस्ता-आहिस्ता हम इतने सालों में इस काम को पूरा करेंगे कि कोई अनमैंड लेवल क्रासिंग नहीं होगा। दूसरा यह है कि अनमेटल्ड रोड पर अनमैंड रेलवे क्रासिंग था, टेक्टर वाले वहां पहुंच गये लेकिन बड़े-बड़े शहरों में भी ऐसे लेवल क्रासिंग हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। इसके कारण पेट्रोल और डीज़ल की खपत भी बढ़ रही है। आप इसको अपने तरीके से कीजिए, अपनी इंटर्नल प्लानिंग बना कर के कीजिए कि इतने बड़े शहर में अनमैंड लेवल क्रासिंग नहीं रखेंगे और जो गांव हैं जहां कम आबादी है वहां मैन लेवल क्रासिंग भी रखेंगे और बड़े-बड़े शहरों में, इतनी आबादी के ऊपर वाले शहरों में लेवल क्रासिंग की जगह पर ब्रिज बनाएंगे।

شری محمد سلیم: میں یہ سپشٹی کرن چاہونگا کہ جس طرح سے آپ ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ اتنے

†[]Transliteration in Arabic script

ہوتا ہے ان کو آپ کب تک ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ایسے کاریہ کرم لیں جسے کہ نہیں۔ اسموتھ ٹریفک کے لیے برج بنائیں گے شہروں میں۔ کب تک یہ کر پائیں گے۔

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, यह भगवान की कृपा है कि कल जो दुर्घटना हुई उसमें न कोई मरा न कोई घायल हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री खलीफा अंसारी) : 31 लोग मरे हैं. . . . (व्यवधान) ट्रेन में नहीं मरे हैं।

श्री ईश दत्त यादव : ट्रेन का मैं कह रहा था कि ट्रेन में नहीं मरे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं प्राय: हो रही हैं। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन रेल मंत्री जी के कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। अभी कुछ महीने पहले स्कूल के बच्चे मर गये थे, दो बसें क्रास कर रही थीं। इसमें मैं रेलवे विभाग की लापरवाही मानता हूं। देहातों से लेकर जितनी रेल लाइनें जाती हैं आपको भी जानकारी होगी कि वहां कोई रेलवे का फाटक नहीं लगा रहता है कि ट्रेन आ रही हो तो गाड़ियों को रोक दिया जाये। वहां लिखा रहता है "ठहरिये, देखिये, जाइये"। अधिकांश जगहों पर जहां "ठहरिये, देखिये, जाइए" लिखा रहता है वहां भी घटनाएं होती हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से चाहता हूं कि आप इसका सर्वे करा लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आदमी की जिन्दगी बड़ी कीमती होती है। इस तरह के जहां पर क्रासिंग है अनमैंड क्रासिंग, वहां भी रेलवे का फाटक लगवा दें, वहां भी आदमी तैनात कर दें मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश) : मुझको जहां तक याद पड़ता है, पहले क्रासिंग पर आदमी रहते थे, फाटक रहता था। लेकिन किफायत के ख्याल से अनमैंड क्रासिंग हो गयी, उसके बाद एक्सीडेंट होने लगे। जान जाती है और रुपए से मुआवजा दिया जाता है, हालांकि जान का कोई मुआवजा नहीं होता है। क्या मंत्री जी कभी हिसाब लगाएंगे, जब से अनमैंड क्रासिंग हुई है कितनी जानें गयीं हैं और कितना मुआवजा दिया गया है उसके मुकाबले में मैंड क्रासिंग रखी जा सकती थी ? यह कभी हिसाब लगाएंगे और हम लोगों को बताएंगे ? तब जाकर मालूम होगा अनमैंड क्रासिंग करने से आपके बजट का कितना पैसा जा रहा है, कितना खून जा रहा है ? उससे बेहतर तो यह होता कि हर क्रासिंग को मैंड रखते ताकि लोगों की जान बचे और आपका पैसा बचे।

سالوں میں یہ کم کریں گے۔ آپ ٹارگیٹ دے کر بتاتے ہیں۔ آپ کے ۱۸ ہزار "ان میڈ" لیبل کراسنگ ہیں آپ اس بات کی جانکاری ہاؤس کو دیں کہ آہستہ آہستہ ہم اتنے سالوں میں اس کام کو پورا کریں گے کہ کوئی "ان میڈ لیول کراسنگ" نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ "ان میڈڈ روڈ" پر "ان میڈ ریلوے کراسنگ" تھا۔ ٹریجڈیاں وہاں پہنچ گئے لیکن بڑے بڑے شہروں میں بھی ایسے لیول کراسنگ ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک کنجیشن ہو جاتا ہے۔ اس کے کارن

उसके साथ यह जुड़ा हुआ है। अभी वह बड़े शहरों में नहीं होता है। आप कहते हैं कि जिस राज्य सरकार बनाएगी, वहां का कारपोरेशन बनाएगा। रेल वाले रेल चलाएंगे पटरियों पर लेकिन ऊपर वाला जो ब्रिज है उसको क्लियर करना पड़ेगा। इसके कारण बहुत-सी ऐसी जगहों पर जहां ब्रिज बन सकता था स्मूथ ट्राफिक के लिए वह नहीं हो पा रहा है। तो मेरे सवाल थे, एक, कि अनमैंड क्रासिंग कितने दिनों में आप फेज आई फेज खत्म करेंगे ताकि एक्सीडेंट्स न हों। बहुत-सी ऐसी जगह लेवल क्रासिंग हैं जहां पर वैन देना पड़ेगा। बहुत-सी ऐसी जगहें हैं जहां शहरों के बीच लेवल क्रासिंग से ट्राफिक कन्जेशन होता है, उनको आप कब तक खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रम लेंगे कि नहीं ? स्मूथ ट्राफिक के लिए ब्रिज बनाएंगे बड़े शहरों में ? कब तक ये कर पाएंगे ?

پیٹرولز اور ڈیزل کی کھپت بھی بڑھ رہی ہے آپ اس کو اپنے طریقہ سے کیجیے۔ اپنی انٹرنل پلاننگ بنا کر کے کیجیے کہ اتنے بڑے شہر میں "ان میڈ لیول کراسنگ" نہیں رکھیں گے۔ اور جو گاؤں ہے جہاں کم آبادی ہے وہاں "میڈ لیول کراسنگ" بھی رکھیں گے اور بڑے بڑے شہروں میں اتنی آبادی کے اوپر والے شہروں میں لیول کراسنگ کی جگہ پر برج بنائیں گے۔

†[] Transliteration in Arabic script.

شری مسعود خان "اتر پردیش" مجھ کو یہ جہاں تک یاد پڑتا ہے۔ پہلے کراسنگ پر آدمی رہتے تھے پھاٹک رہتا تھا۔ لیکن کفایت کے لحاظ سے "ان میڈ کراسنگ" ہوگئی۔ اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہونے لگے۔ جان جاتی ہے اور روپیہ سے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا منتری جی کبھی حساب لگائیں گے جب سے "ان میڈ کراسنگ" ہوئی ہے کتنی جانیں گئی ہیں اور کتنا معاوضہ دیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں "میڈ کراسنگ" رکھی جا سکتی تھی۔ یہ کبھی حساب لگائیں گے اور ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ تب جاکر معلوم ہوگا "ان میڈ کراسنگ" کرنے سے آپ کے بجٹ کا کتنا پیسہ جا رہا ہے۔ کتنا خون جا رہا ہے اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ ہر کراسنگ کو "میڈ" رکھتے تاکہ لوگوں کی جان بچے اور آپ کا پیسہ بچے۔

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यूं तो मैंने भी गिनती नहीं रखी कि कितना नम्बर इनका खेद प्रकट करना हुआ क्योंकि पिछले साल से कई बार इनको अफसोस करना पड़ा इस सदन में और इनके साथ-साथ हम सबने अफसोस जाहिर किया। मुआवजा भी देना पड़ा। सवाल यह है कि रेल इस देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। गांव-गांव से रेल जाती है, जंगल, पहाड़ से जाती है, शहरों से भी जाती है। आपकी लेवल क्रासिंग पर होती है उसमें आप बचत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और बचत करने का आपका बजेटरी एलाटमेंट हमारे वित्त मंत्री जी ने काट दिया है तो आप चौतरफा बजट कटौती कर रहे हैं उसी में शायद यह भी है कि लेवल क्रासिंगस को आपने खुला छोड़ दिया है।

लेकिन मेरा यह सुझाव होगा कि लेवल क्रासिंग जो तो हर जगह जहां कहीं हो वह मैन्ड लेवल क्रासिंग होना चाहिए। शहर के पास कहीं अगर एक्सीडेंट हो तो उसको माना भी जा सकता है, क्योंकि हमने खुद देखा है शहर में और छोटे कस्बों में लोग जल्दबाजी में रहते हैं लेवल क्रासिंग का फाटक जो खड़ा होता है उसको उठाकर मोटर साईकि[illegible] पार करके चले जाते हैं। लेकिन वे होशियार [illegible] गाड़ी आते समय नहीं जाते। लेकिन यह तो इस तरह से एक्सीडेंट होता ही रहता है, यह बड़े अफसोस की बात है। आपको ये एक्सीडेंट्स कम करने के लिए एक इन्क्वायरी कमेटी बहाल करनी चाहिए। रेलवे की आपकी कई तरह की इन्क्वायरी कमेटीज हैं। एक इन्क्वायरी कमेटी आप बहाल करें, जो इस तरह के लेवल क्रासिंग पार करते समय या जहां इस तरह की लापरवाही होती है, एक्सीडेंट होते हैं, इसकी जांच करे और हरेक जगह लेवल क्रासिंग में यह डंडा लगा कर जंद करके आगे आप उसमें रेलवे का आदमी रखें, आदमी आप रखेंगे ठेका पर रखेंगे या कैसे भी, यह आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उसका कॉस्ट कितना होगा, कितनी कॉस्ट में फीजीबल होगा कि नहीं, यह सब का भी आपको जांच करना होगा। मुआवजा आप देते हैं और जिसके घर का कमाने वाला मर जाता है उसके परिवार का क्या होगा ? लाख, दो लाख तो आपने दे दिया जिसकी जान गई, लेकिन वह कमाने वाला नहीं हुआ तो सारा परिवार तो बर्बाद हो गया। क्या उस परिवार के दूसरे किसी सदस्य को भी आप नौकरी देंगे ? यह सब भी सोचने की बात है तो आप सोचकर इसका जवाब दीजिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : माननीय रेल मंत्री महोदय हमारे यहां शोक प्रस्ताव पढ़ने की और शोक प्रकट करने की एक बड़ी स्वस्थ परंपरा बन गई है, लेकिन इससे मरने वालों के परिवार वालों को जो दुख पहुंचा है उसे हम किसी भी तरह बांट नहीं सकते। इस बार का जो रेल बजट है उसमें प्रावधान दिया गया है कि जो अन-मैन्ड लेवल क्रासिंग हैं उन पर लोग रखे जाएंगे और यह व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस तरह क्या पापुलेशन कंट्रोल करने का यह एक नया तरीका है, यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी ? मुझे करीब एक वर्ष यहां आए हुए हो गया है और यह शायद 14वीं बार है जब इस तरह का शोक प्रस्ताव देख रहे हैं और शोक प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि सांसद कमला सिन्हा जी ने कहा कि क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाती कि जितने भी अन-मैन्ड क्रासिंग हैं उन पर सशक्त लोग रखे जाएं ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री सतीश पटवारी (महाराष्ट्र) : मैं दो बातें मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अभी ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स कंटीन्युअली हो रहे हैं। ऐसे एक्सीडेंट के बाद में जो लोग मर जाते हैं या अस्पताल हो जाते हैं उन लोगों को रेलवे कुछ नुकसान भरपाई नहीं देती, यह मेरी इन्फर्मेशन है। इसके बारे में रेलवे अब दोबारा फिर से अलग विचार शुरू करने की सोचेगी या

†[] Transliteration in Arabic script.

नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं ? दूसरा मुझे पूछना है कि यह बहुत सारे एक्सीडेंट्स कंटीन्युअली जो हो रहे हैं वहां 18 हजार फाटक हैं तो मैन्युअली उधर कुछ आदमी नहीं रख सकते, खर्चा बढ़ रहा है उसका इंतजार नहीं कर सकते, इस ढंग की जो आप बात बता रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए फिर तो उधर यदि आदमी नहीं रख सकते तो फिर दूसरा वहां क्या इंतजाम किया जा सकता है जिसकी वजह से वहां एक्सीडेंट्स नहीं हों ? सभी यहां सब सदस्यों ने काफी सुझाव दिए, लेकिन क्या आप इसके बारे में कोई सेमिनार आदि-वादि करके लोगों के पास से इसके बारे में कुछ अलग व्यवस्था का प्रस्ताव मांगने की कोशिश करेंगे ? इसके बारे में कुछ अलग ढंग से विचार करेंगे और इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं ? धन्यवाद।

मौलाना अबीदुर्रहमान नोमानी (नाम-निर्देशित) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सुझाव तो बहुत से आए। बहरहाल जो लोग इस हादसे में हलाक हुए उनके साथ तो सब की हमदर्दी है, लेकिन मसला यह है कि फिर ऐसे वाक्यात न हों, ऐसी घटनाएं न हों जिससे कि हमको बार-बार हमदर्दी का इज़हार करना पड़े ? हमदर्दी जाहिर करने से कोई मसला हल नहीं होता।

आपने बिल को तवज्जो दे ली आप, आपकी कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए जो भी सुझाव हो, चाहे वह बेहतर बनाने का हो या दूसरा हो, यह कोई बहुत सही बात नहीं है। चाहे चेयरमैन साहब, आपने मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ट्रेन बहुत दूर से दिखलायी पड़ जाती है और पता लग जाता है कि ट्रेन आ रही है। मेरा कहना यह है कि यह दुर्घटनाएं इसलिए होती है कि गाड़ी चलानेवाले जो ड्राइवर होते हैं, वह सुलझे नहीं होते हैं और नतीजा यह होता है कि बदहवासी में लोग लाइन पार करते हैं और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। इसके लिए एक ही रास्ता है कि चाहे जो कुछ भी हो, कोई भी गेट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस पर कि आदमी न हो आप हर गेट पर आदमी के रहने की व्यवस्था करें घाटा हो तब भी, न घाटा हो तब भी। उपसभाध्यक्ष जी, घाटा बहुत-सी चीजों में होता है, लेकिन इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है और उसकी कीमत पर रेल मुनाफा कमाए, यह अच्छी बात नहीं है। यह इंसानियत के खिलाफ बात है। इसलिए मैं आपके चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करूंगा, उनकी खिदमत में तवज्जो करूंगा कि वह इस तरफ संजीदगी से गौर करें और इस बात का फैसला लें कि हमारे हर गेट पर आदमी रहना है और इस तरह की दुर्घटनाओं और आदमों से आम लोगों को बचाना है।

मुझे बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur) : Sir, I want to make only one point. In this accident there was absolutely no fault of the train driver. The fault only lies with the tractor driver, and he has absconded from that count. But the point is, even though there is no fault on the part of the train driver or the railway department in relation to this particular accident, there is such a thing as "No-fault liability." Even though there is no fault, the liability is there with the railway department, and the Railway Ministry has announced compensation. So, on this principle of "No-fault liability" Kamlaji has spoken and said that the number of unmanned level crossings should be reduced and arrangements should be made for signalling activities. Therefore, though the railway has no fault in this matter, the liability is there. So I urge the hon. Railway Minister that such liability should be avoided and unnecessary expenditure should be curbed. This is the only point I wanted to make. Thank you.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक सुझाव चाहता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको कठिनाई होगी तो रेलवे आसपास के गांवों की जो पंचायतें हैं, उनसे किसी प्रकार का समझौता कर के यह कर सकती है कि वे वहां किसी आदमी को रख दें। वहां केवल डंडा लगाकर या पत्थर लगाकर लटकाने की बात है। मेरा कहना यह है कि आसपास या निकट की जो पंचायतें हैं, उनसे रेलवे डिपार्टमेंट यह कहे कि यह आपका है और आप इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। आप उन्हें रुपया, दो रुपया दे दीजिए क्योंकि इतना से आपका खर्चा हो जानेवाला है। इसलिए ग्राम पंचायतों को आप कहें कि वहां केवल एक डंडा या पत्थर लगाने की बात है। वहां केवल एक आदमी को बैठारी देने की बात है। यदि आप ऐसा करें तो आपकी समस्या हल हो सकती है। इस पर आप कृपया विचार करें।

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal) : Sir, just one point. There has been a lot of discussion about these stones—*foundation stones laid for various programmes*. These keep on accumulating because the programmes are never implemented. That is one part. And I had a feeling, at that time, that may be these foundation stones should be renamed as tombstones. But now I feel, the way these accidents are increasing—there were 18 accidents or something like that in the last one year—that these stones may be transferred to *the other side to function as tombstones*.

I think it is very irresponsible on the part of the Government to simply express condolences. That is not enough. People are dying; blood is being shed. What happens to the dependents of

the victims? So I request the Railway Minister to really think in terms of precautionary measures the Ministry has to take concretely, to ensure that such accidents do not take place in future. If these unmanned level crossings are a problem, then what measures are you taking to solve this problem? All the specific measures must be mentioned. There is no point in just expressing condolences. This hypocrisy doesn't make any sense.

Thank You.

श्री सत्यनारायण अग्रवाल (मध्यप्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो बगैर चौकीदार रखे हुए स्थानों पर दुर्घटना होती है तो उससे न केवल मनुष्यों की जानें जाती है बल्कि रेलवे की संपत्ति का भी नुकसान होता है और विभिन्न प्रकार से मुआवजा भी देना पड़ता है। इन सारी बातों को देखकर ऐसे स्थानों पर जहां बगैर चौकीदार के फाटक हैं और जहां दुर्घटना होने की संभावना रहती है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर, अगर फाटक नहीं है तो फाटक लगा कर, चौकीदार की व्यवस्था किए जाने पर सरकार विचार करेगी?

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह कि इस प्रकार की जब दुर्घटना होती है, यह तो ठीक है कि इसमें रेल यात्रियों की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन ट्रेक्टर ट्रेलर पर सवार आमिमयों की तो मृत्यु हुई है, तो जब रेल यात्रियों की मृत्यु होती है तो उनके निकट संबंधियों को तत्काल जो थोड़ी बहुत सहायता दी जाती है वह नाममिन्न होती है, लेकिन उनके जो क्लेम हैं वह वर्षों तक लटके रहते हैं और इतने लंबे समय के बाद उन क्लेम को सेटल किया जाता है, जब कि उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो इस पर भी मंत्री महोदय कुछ बताएंगे।

तीसरा, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, जैसा इस स्टेमेंट में कहा है कि मृतकों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, तो क्या व्यवस्था की गई है? यह कभी कभी तो 500/-रुपए या 2000/- रुपए इस प्रकार देकर के खानी मखलम पट्टी की जाती है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने व्यवस्था तो की है अनुग्रह राशि देने की, लेकिन कितनी व्यवस्था की है सरकार की ओर से? थोड़ा यहां सदन को भी बता दें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL) : Before the hon. Railway Minister replies to the clarifications sought by the hon. Members, I want to say that I have gone through the statement *suo motu* made by the hon. Railway Minister, and I will be obliged if he can clarify one or two points of mine also from the Chair, which incidentally occurred to me while I was going through the statement. You have mentioned in this :

> ". . . . . a tractor-trailer carrying a group of families tried to cross the level crossing but got dashed by the train engine. As a result of the severe impact of the speeding train and consequent dragging of the trailer vehicle along the track, 31 persons travelling on the tractor-trailer lost their lives and 8 others sustained grievous injuries."

How is it that the driver of the tractor-trailer is reportedly missing?

ट्रेलर सारा का सारा फंस गया इंजन में। इतना सारा इम्पेक्ट था। सब मर गए तो यह ड्राइवर मिसिंग कैसे हो गया? क्या पहले से ड्राइवर कूद गया था यह एक्सीडेंट होने से, और वह ट्रेलर अपने आप आटोमैटिक चलता हुआ गया या क्या था? इसमें थोड़ा मिस स्टेटमेंट हुआ। इसको जरा चैकअप करा लीजिए।

दूसरा यह टाइम था शाम को 6 बजकर 35 मिनट और 6 बजकर 35 मिनट पर सामान्यतया रेल की लाइट जल जाती है। रेल की लाइटें जलने के बाद, रेल जिस स्पीड से आती है, लाइट जली हुई होती है, इतनी आवाज होती है, गड़गड़ाहट होती है, मैं समझता हूं कि अगर कोई आदमी 100 मीटर दूर पर भी गाड़ी वाला होता है तो वह क्रोस करने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक कि वह ड्राइवर पागल न हो या पिए हुए न हो। तो यह कुछ न कुछ इसमें थोड़ी सी मुझे इनडिसक्रिपेन्सी सी लगती है।

Number three, whose responsibility is to provide manned level crossing? Is it that of the PWD or the Road Department or the Transport Department or the Railways? If it is the responsibility of the Railways, then, you cannot say that the primary responsibility lies with the road-user. You say that the primary responsibility lies with the road-user. So, is it the primary responsibility of the road-user or is it that of the Railways to provide manned level crossings? So, if it is the responsibility of the Railways, you cannot shift the burden on to road-users.

Then, what is the amount of the ex-gratia payment that you are going to pay? You have not mentioned the amount in this.

If you are kind enough to clarify these points which have just occurred to my mind while going through the statement, I will be obliged.

Thank you very much.

Please clarify the points.

SHRI C. K. JAFFER SHARIFF : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you.

Let me start with what you just said about how the driver escaped.

Generally, a trolley is attached to a tractor. So, when the tractor moved,naturally, the driver is out of the track.

When the trolley could not move, when the engine came and hit it, naturally the impact was felt by the trolley. The trolley got tagged and the people who were sitting on the trolley—people mostly travel by trolley—got caught unfortunately and they were the people who became the victims. I have heard the hon. Members. In fact, Mr. Vice-Chairman you also mentioned about the responsibility of the road users or that of the railways. The point is that in our country because of the large network in this vast country, the number of level-crossing is more. Every year there is a survey about the volume of taffic at each level crossing. Based on that wherever the volume of traffic is more, those level-crossings are upgraded and they are manned. Wherever the volume of traffic is less, it remains unmanned.

One of the Members said that we should have a drive of educating the people. When there was an accident at the Poona level-crossing and the school-going children became victims, we got it educated continuously through the Doordarshan and through newspaper advertisements appealing to the drivers and road users. But, today unfortunately we should see the fact that in every urban area there is a haste. Everybody wants to reach early. This practice has now gone to rural areas also. Each one who is mobile, he is in a hurry to go. In fact I cannot imagine why this accident has occurred. When there was a clear visibility on both sides, nobody should have ventured. After all, train makes a lot of noise while coming, as you also have pointed out. Even in Poona, when I went there and walked along by the track in the midnight at 2, 2.30 or 3 o'clock at the place where the accident had occurred, what I found was that the drivers were keeping pace with the train and then they overtook it. One bus crashed completely. The other bus, which was crossing it, got caught at its fag-end. It also could have escaped. Unfortunately, it did not. There had been an effort on the part of the engine driver to apply brake. He did his best, but at such a speed he could not do anything more. So, the Railways continuously do the survey and upgrade the level-crossing, wherever it is so required. I have said in my Budget speech when I made a specific provision of Rs. 25 crores this time for this particular aspect of taking care of these level-crossings. I had also said that we expect the cooperation of the State Governments in it. I think Mr. Mathur has given a very good suggestion of seeking the participation of the village Panchayats and find out whether they will be able to come forward and help. We can try this. It is again the question of manning the level-crossings, which means appointing people. This in turn means a recurring expenditure and one has to find so much of money for this. This is a problem. Nobody can hide. In fact, it hurts us very much when an accident takes place. No amount of compensation can substitute the life and security to the family.

Sir, all that I want to say is that we can continue to educate the people, continue to seek cooperation from the State Governments and other local bodies. We will also counsel the drivers who run these trains to take note of the level crossings. Some Members suggested that there should be whistling facility. When the Pune accident took place, all care was taken. In spite of that an unfortunate accident took place. Sometimes it happens. In this kind of accident, the total rssponsibility is being put on the Railways. Whenever there is a railway accident, one can understand the total responsibility of the Railways. Here one cannot determine who is responsible. But it pains the Railways when some accident takes place and when the name of the Railways is taken for which it is not responsible. It hurts us. As some Members said, it is the family which suffers and it is the dependents who suffer. It is most unfortunate. On our part, we will do everything possible to see what best we can do to improve the things further. We will try to hold some kind of seminars on safety consciousness. Not only that, we will also try to have a dialogue with the State Governments and other local bodies as to how best their support can also be enlisted to see that such incidents do not recur and does not cause loss of human lives. Thank you very much. *(Interruptions)*. . . . One point that I had forgotten to mention is about compensation . . . *(Interruption)* . . . It is not compensation but it is only an ex-gratia payment. In the case of the injured, the compensation is Rs. 500 and in the case of the dead, it is Rs. 2000. *(Interruptions)* . . .

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): Whenever there is a railway accident either in Gujarat or in Maharashtra or in West Bengal, can we not have a flat amount of compensation in the case of the injured and dead persons?

SHRI S. S SURJEWALA (Haryana): My question is about unmanned level crossigs in Haryana. In the last 20 or 30 years these were manned level crossings. But in the last one year more than 40 level crossings manned by workers were converted into unmanned level crossings. Due to this, a lot of accidents took place. May I know from the Minister whether he will consider converting those unmanned level crossings into manned level crossings again?

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, it is shameful that Rs. 2000 has been declared as a price for the loss of a human life. I am very sorry about it. He has not taken into consideration the loss which has been suffered by the family and everybody else. This compensation is only a pittance. I think that you should not give it. Rupees two thousand compensation is nothing. You don't give it. It is a joke. That will be a cruel joke. I think you better not give it. What you are giving is only a pittance. It is shameful.

श्रीमती कमला सिन्हा : उपसभाध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि जब एक परिवार में किसी कमाने वाले मेंबर की एक्सिडेंट के कारण रेलवे क्रासिंग में मृत्यु हो जाती है।

6.00 P.M.

तो उस हालत में जब परिवार का भरण-पोषण करने वाला कोई नहीं रहता है, उस स्थिति में क्या रेल मंत्री इसकी अनुशंसा करेंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे कि नैक्स्ट टू दि किन, जो भी कोई कमाने वाला हो उस परिवार में उसके निकट संबंधी को नौकरी देने की व्यवस्था की जाए। क्या उसको अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): This has happened because of the unmanned level crossing. And, it is so because you have paucity of funds. Road-users might commit a mistake. When you are not having funds, as you are saying, and if you are not able to provide funds, you have a responsibility for the accident indirectly because of the railway line which is there. Therefore, please do not say that the responsibility is not yours and so you are not liable to pay any compensation. Technically, you might not have used these words in your rules and regulations. But you have to provide compensation.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Satish Agarwal): Is it the sense of the House that the sitting may be extended till this particular matter is disposed of? Yes. All right. The extension is only to dispose of this particular matter and not for any other matter.

Mr. Minister, if I am not wrong, the Motor Vehicles Act has been amended by Parliament to make it mandatory to make an initial payment of Rs. 15,000/- to the dependents of the dead, without going into the question as to who had committed the mistake or who was in the wrong. It will be decided later on by the Tribunal whether it was the mistake of the pedestrian or of the motorwala. But, initially, the amount Rs. 15,000/- has to be paid immediately to the bereaved family of the person who died on the spot, without deciding who was responsible for the accident. That is the provision made in the Motor Vehicles Act by Parliament, so far as my knowledge goes. Kindly clarify. *(Interruption)*. Biplab Dasguptaji, do not create 'biplab'.

SHRI C. K. JAFFER SHARIFF: I am also not aware of it. I can find out. If what you have said is true, the responsibility clearly comes under the Motor Vehicles Act. Naturally, if he has hired the truck, it is entirely the responsibility of the owner of the truck to bear this burdern. But, as far as the Railways are concerned, we have to understand the question of payment of compensation. Wherever the responsibility is squarely of the Railways, a very clear system is there. An *ex gratia* amount is paid. Not only that. The Claims Tribunal is there. And, Rs. 2 lakhs is paid to whoever is the legal heir. Parliament decidedon it long before and it is in practice. But the question is different if the responsibility is not of the Railways. Mr. Chimanbhai Mehta is now saying that the Railways are responsible because the railway line is there. It is for this august House to think and guide us. It is the money of the public exchequer. Do you want its money to be given to somebody who does not care for his responsibility?

SHRI O. RAJAGOPAL: It is an unmanned level crossing.

SHRI C. K. JAFFER SHARIFF: Please allow me to complete. Either you allow us to mobilise more resources so that we can meet all

these things or you tell us what we should do. I would like to be guided by all of you. *(Interruption)*.

DR. BIPLAB DASGUPTA : It depends upon the number of accidents.

SHRI C. K. JAFFER SHARIFF : Once you commit yourself, it becomes a precedent. Tomorrow, it will be something else. When you expect us to discharge our responsibility, I think you expect us to discharge our responsibility with the utmost care and responsibility towards the public exchequer. After all, you are the trustees. I am only acting on your behalf.

SHRI S. S. SURJEWALA : My question has not been answered. *(Interruptions)*. They were converted into unmanned . . . . *(interruptions)*.

SHRI C. K. JAFFER SHARIFF : This point, am not quite aware of.

Mr. Surjewala, I am not quite aware of this thing. I will certainly take it up with the administration and will find out if any manned level crossing has been changed to unmanned level crossing. This is very wrong because the very concept of the manned level crossing is based on the survey of the traffic and it cannot be changed.

SHRI S. S. SUREJEWALA : This is a fact Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Satish Agarwal) : Mr. Surjewala, the Minister has assured you that he would look into it. Then, why enter into controversy.

श्री ईश दत्त यादव : श्रीमन, विप्लव दास जी ने और सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि दो हजार और 500 रुपए का कंपेंसेशन बड़े उपहास की चीज है। या तो मंत्री जी इसे वापस ले लें या नहीं तो जैसा लाप ने सुझाव दिया, कम से कम से कम उस को 15 हजार रुपए करने की घोषणा करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश प्रधान) : मैंने कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने मोटर ट्रांसपोर्ट का रूल बताया है। चेयर से इस संबंध में कोई डाइरेक्शन नहीं दे सकती।

So, the discussion on the Budget (Railways), 1994-95 with the Resolution, the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1994 and the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1994 will continue tomorrow.

The House is adjourned till 11.00 A.M. on Wednesday.

The House then adjourned at six minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 4th May, 1994.

MGIPF—27 RSS/95—400